न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –34 / 2017 एवं 33 / 2017 जिला सीकर

1. ग्यारसी लाल पुत्र पूरणमल
2. शकुन्तला पत्नी पूरणमल
   जाति ब्राह्मण, निवासी लक्ष्मी टाकीज रोड, वार्ड नम्बर 7, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कलावती उर्फ मीरा पत्नी महावीर प्रसाद
2. राजेश
3. पवन
4. रवि
   पुत्रान महावीर प्रसाद
5. मीनू पुत्री महावीर प्रसाद
   जाति ब्राह्मण, निवासी बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू ।
6. मीठू उर्फ मीनाक्षी पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी मनोज शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गुढा कलां, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू ।
7. नीतू उर्फ अनीता पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी राजेन्द्र शर्मा पुत्री गोरी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी गोकलपुरा, तहसील व जिला सीकर ।
8. रेखा पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी राकेश जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू ।
9. मंजू पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी धमेन्द्र पुत्र कैलाश चन्द पिनारा, निवासी गोकल का बास, तहसील खण्डेला जिला सीकर ।
10. मधु पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी रमाकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
11. श्रवणी पत्नी केसर देव
12. शंकर पुत्र केसर देव
13. विमल उर्फ विनोद पुत्र केसर देव
    जाति ब्राह्मण निवासी चौकडी तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
14. भूरी देवी पुत्री बंशीधर पत्नी जगदीश नारायण जाति ब्राह्मण निवासी भूदोली रोड, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
15. विमला देवी पुत्री बंशीधर पत्नी दामोदर प्रसाद खाविदा वाले जाति ब्राह्मण निवासी कविमगढ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
16. राजेश दत्तक पुत्र श्याम लाल जाति ब्रह्मण निवासी नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
17. सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोंडेन्टान

दोनों अपीलें विरूद्ध आज्ञा कमशः तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 22.2.2007 एवं आज्ञा उप तहसीलदार खण्डेला बाबत नामांतरकरण संख्या 553 दिनांक 22.3.2007

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री पंकज कुमार शर्मा, श्री रमाकान्त शर्मा

निर्णय

दिनांक– 31.7.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत कमशः तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.2.2007 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.2.2007 की अनुपालना में उप तहसीलदार खण्डेला द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 553 दिनांक 22.3.2007 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्र्रम चौकडी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2107, 2108 एवं 2220 कुल किता 3 कुल रकबा 3.83 हैक्टेयर का खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर ब्राह्मण था । खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर के अविवाहित फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 521 दिनांक 5.1.2006 ग्र्रम पंचायत चौकडी , पंचायत समिति खण्डेला द्वारा भूरी देवी, विमला देवी पुत्रियान बंशीधर, पूरणमल, महावीर प्रसाद पुत्रान बंशीधर , श्रवणी देवी पत्नी केशरदेव, शंकर, विमल पि. केशरदेव के नाम स्वीकार किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 521 दिनांक 5.1.2006 से व्यथित होकर महावीर प्रसाद द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो उनके निर्णय दिनांक 2.11.2006 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 521 तन ग्र्रम चौकडी निरस्त किया गया एवं पत्रावली तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की गई कि वह दोनों पक्षों को सुन कर नामांतरकरण दर्ज कर निर्णय करने की कार्यवाही करें ।

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 2.11.2006 की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनके बयानात एवं दस्तावेज लेकर निर्णय दिनांक 22.2.2007 द्वारा बंशीधर पुत्र बाला बक्स कौम ब्राह्मण द्वारा एक वसियत दिनांक 25.8.88 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर में तस्दीक कराये जाने, जिसमें लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर को अचल व चल सम्पत्ति का मालिक माना है । वसियत के आधार पर लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है । लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर ने एक वसियत लेख दिनांक 8.9.2005 को तहरीर करवा कर महावीर प्रसाद पुत्र बंशीधर ब्राह्मण को चल व अचल सम्पत्ति का मालिक माना है , जो नोटेरी से तस्दीक शुदा है । भूरी देवी, शंकर देव, श्रवणी देवी, विमला देवी ने अपने बयानों में जाहिर किया है कि विवादित भूमि पर महावीर प्रसाद पुत्र बंशीधर ही काबिज है तथा लक्ष्मीनारायण का भी महावीर प्रसाद ही उत्तराधिकार है । पूर्णमल नीमकाथाना, श्याम लाल के गोद चला गया है, जो निर्वाचन नामावली की क्र.सं. 331 में पूणमल पुत्र श्याम लाल दर्ज है । लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर ब्राह्मण निवासी चौकडी की मृत्यु दिनांक 14.9.2005 को मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर हो चुकी है । उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के न्यायालय में दिनांक 21.4.2006 को राजीनामा पक्षकारान द्वारा किया जा चुका है जिसमें विवादित भूमि का खातेदार विधिक रूप से महावीर प्रसाद को माना है तथा पूर्णमल ने भी दिनांक 16.10.2006 को उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में जवाब पेश किया था जिसमें अपील अपीलान्ट स्वीकार की जा रही है तो उसे कोई आपत्ति नहीं

चिन्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है , मानते हुये महावीर प्रसाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 2107, 2108, 2220 कुल किता 3 रकबा 3.83 हैक्टेयर तन ग्रम चौकडी लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर कौम ब्राह्मण के स्थान पर महावीर पुत्र बंशीधर कौम ब्राह्मण निवासी चौकडी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.2.2007 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 34/2017 पर दर्ज की गई है तथा तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 22.2.2007 की अनुपालना में उप तहसीलदार खण्डेला द्वारा महावीर प्रसाद के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 553 दिनांक 22.3.2007 के खिलाफ अपील संख्या 33/2017 पर दर्ज की गई है । दोनों अपीलों में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अपीलान्ट्स को सुने जाने हेतु रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान दोनों अपीलों के अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार बंशीधर थे जिनके लक्ष्मीनारायण (अविवाहित फौत), केसर देव, भूदरमल (अविवाहित फौत) पूरणमल, महावीर प्रसाद पुत्रान एवं भूरी देवी, विमला देवी पुत्रियॅा थी । खातेदार बंशीधर द्वारा विवादित भूमि की वसियत अपने पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम करदी थी । विवादित भूमि बंशीधर की क्रयशुदा सम्पत्ति नहीं होने से सम्पूर्ण भूमि की वसियत लक्ष्मीनारायण के हक में करने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था । वसियत संदिग्ध व संदेहास्पद थी । ऐसी स्थिति में लक्ष्मीनारायण को भी महावीर प्रसाद के हक में वसियत करने का अधिकार नहीं था । लक्ष्मीनारायण की विरासत के नामांतरकरण के खिलाफ उप खण्ड अधिकारी के समक्ष महावीर प्रसाद की अपील में कहीं भी महावीर प्रसाद के हक में वसियत के आधार पर कार्यवाही करने के अधिकार नहीं थे । तथाकथित वसियत कहीं भी साबित नहीं की गई थी । उनका कहना था कि वसियत व गोद के प्रश्न विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न है, जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकते । वसियत एवं दत्तक के आधार पर अधिकार चाहने वाले व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार तय कराने होगें । पूरणमल का नोटिस दिनांक 20.1.2007 अदम तामिल था तथा इस पर जो गवाह थे उनमें स्वयं महावीर प्रसाद व उसका पुत्र है । इस प्रकार स्पष्ट रूप से तामिल फर्जी व नुमाईशी है । उनका कहना था कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । अपीलान्ट्स के पिता व पति पूरणमल , श्याम लाल के कभी गोद नहीं गया न ही गोद की रस्म हुई । श्याम लाल के राजेश पुत्र पूरणमल गोद गया था । पूरणमल, श्याम लाल के गोद जाने की बात गलत है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मृतक लक्ष्मीनारायण के सभी विधिक वारिसान के नाम ग्रम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 521 तस्दीक किया था । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रकरण के महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.2.2007 पारित करने एवं इस आदेश की अनुपालना में उप तहसीलदार खण्डेला द्वारा महावीर प्रसाद के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या संख्या 553 दिनांक 22.3.2007 तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर दिनांक 22.2.2007 एवं इस आदेश की अनुपालना में उप तहसीलदार खण्डेला द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 553 दिनांक

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

22.3.2007 निरस्त कर प्रकरण अपीलान्ट्स को सुन कर पुनः निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स के पिता एवं पति पूरणमल पुत्र बंशीधर को 10—12 साल की उम्र में ही नीमकाथाना निवासी श्याम लाल द्वारा बंशीधर व उनकी पत्नी से गोद ले लिया था तभी से पूरणमल 45 वर्षों से नीमकाथाना में श्याम लाल के कुटुम्ब के सदस्य के रूप में दायित्वों को निभा रहे हैं । उनका कहना था पूरणमल पुत्र श्याम लाल का नीमकाथाना के वार्ड संख्या 18 में राशन कार्ड बना हुआ है तथा नीमकाथाना की निर्वाचक नामावली 2004 की मतदाता सूची के क्रम संख्या 331 पर पूरणमल पिता श्याम लाल का नाम अंकित है । नीमकाथाना निवासी श्याम लाल शर्मा की दुकानों का विक्रय जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.3.2003 से पूरणमल द्वारा ही किया गया है । पूरणमल की दिनांक 10.12.2014 को मृत्यु हो गई ओर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.10.2017 में भी पूरणमल के पिता का नाम श्याम लाल शर्मा अंकित है । पूरणमल ने उप खण्ड अधिकारी के न्यायालय में लिख कर दिया था कि अपील स्वीकार करली जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है । उनका कहना था कि विवादित भूमि के खातेदार बंशीधर द्वारा अपने पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम दिनांक 27.7.88 को वसियत लिख कर उप पंजीयक श्रीमाधोपुर से पंजीकृत करवादी थी ओर लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो गया था तथा लक्ष्मीनारायण ने भी वसियत दिनांक 8.9.2005 को महावीर प्रसाद के नाम तहरीर करदी थी । खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर के दिनांक 14.9.2005 को अविवाहित फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 521 दिनांक 5.1.2006 को ग्राम पंचायत चौकडी, पंचायत समिति खण्डेला द्वारा भूरी देवी, विमला देवी पुत्रियान बंशीधर, पूरणमल, महावीर प्रसाद पुत्रान बंशीधर, श्रवणी देवी पत्नी केशरदेव, शंकर, विमल पि. केशरदेव के नाम बिना वारिसान की विधिवत जॉच किये एवं वसियत को नजरन्दाज करते हुये स्वीकार किया गया, जिसके खिलाफ महावीर प्रसाद की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 2.11.2006 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 521 तन ग्राम चौकडी निरस्त किया गया एवं पत्रावली तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की गई कि वह दोनों पक्षों को सुन कर नामांतरकरण दर्ज कर निर्णय करने की कार्यवाही करें । उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पक्षकारों को सुनकर उनके बयानात एवं कागजात लेकर निर्णय दिनांक 22.2.2007 द्वारा महावीर प्रसाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 2107, 2108, 2220 कुल किता 3 रकबा 3.83 हैक्टेयर तन ग्राम चौकडी लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर कौम ब्राह्मण के स्थान पर महावीर पुत्र बंशीधर कौम ब्राह्मण निवासी चौकडी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अन्त में कथन किया कि पूरणमल, नीमकाथाना निवासी श्याम लाल शर्मा के गोद जाने से बंशीधर की भूमि में पूरणमल का विधिक रूप से कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर दिनांक 22.2.2007 एवं तहसीलदार के उक्त निर्णय की अनुपालना में उप तहसीलदार खण्डेला द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 553 दिनांक 22.3.2007 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2002 पेज 541, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1414, ए.आई. आर. 1998 एस.सी. 2276, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 33, ,आर.आर.टी. 2015 (1) पेज

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

435, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 232, आर.आर.डी. 1990 पेज 445 एवं 2007 (2) आर. आर.टी. पेज 1316 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार लक्ष्मीनारायण के अविवाहित फौत होने पर उसकी विरासत के नामांतरकरण का है । लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर द्वारा अपने भाई महावीर प्रसाद के हक में वसियत तहरीर करदी थी , लेकिन ग्रम पंचायत चौकडी द्वारा लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर की विरासत का नामांतरकरण संख्या 521 दिनांक 5.1.2006 को भूरी देवी, विमला देवी पुत्रियान बंशीधर, पूरणमल, महावीर प्रसाद पुत्रान बंशीधर, श्रवणी देवी पत्नी केशरदेव, शंकर, विमल पि. केशरदेव के नाम स्वीकार किया है, जिसके खिलाफ महावीर प्रसाद की अपील उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने निर्णय दिनांक 2.11.2006 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण दोनों पक्षों को सुना जाकर नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया है । उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.2.2007 द्वारा लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर के स्थान पर महावीर पुत्र बंशीधर का नाम दर्ज करने के आदेश दिये तथा इसकी अनुपालना में उप तहसीलदार खण्डेला द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 553 दिनांक 22.3.2007 को महावीर प्रसाद के नाम तस्दीक किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट संख्या 1 के पिता एवं अपीलान्ट संख्या 2 के पति पूरणमल पुत्र बंशीधर को श्याम लाल, निवासी वार्ड नम्बर 5, नीमकाथाना के यहॉ गोद जाने के बाद भी मूल पिता बंशीधर की भूमि में हिस्सा चाहते हैं । मृतक खातेदार लक्ष्मीनारायण की विरासत के नामांतरकरण संख्या 521 के खिलाफ महावीर प्रसाद की अपील में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स भूरी देवी, श्रवणी देवी, शंकर देव, विमल एवं विमला देवी द्वारा राजीनामा पेश कर अपील मंजूर करने एवं नामांतरकरण संख्या 521 निरस्त कर नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम भरे जाने के आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया था तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 पूरणमल द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर उल्लेखित किया था कि अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में उसे कोइ आपत्ति नहीं है । उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने निर्णय दिनांक 2.11.2006 द्वारा दस्तावेजात नकल नामांतरकरण संख्या 521, मत्यु प्रमाण पत्र , वसियत लेख दिनांक 8.9.2005 व दिनांक 27.7.1988, नगर पालिका नीमकाथाना के प्रमाण पत्र दिनांक 16.2.2006 एवं मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना वार्ड नं. 18 के अवलोकन के बाद उक्त दस्तावेजात के आधार पर रेस्पोंडेन्ट पूरणमल ग्रम चौकडी में न रहकर नीमकाथाना में रहना तथा वह श्याम लाल के यहॉ गोद जाना साबित होना मानते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 व 6 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब के अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 521 निरस्त कर प्रकरण दोनों पक्षों को सुना जाकर नामांतरकरण पर निर्णय करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया है । वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत पूरणम शर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति में भी पूरणमल के पिता का नाम श्याम लाल अंकित है । उप खण्ड अधिकारी द्वारा पूरणमल को श्याम लाल के गोद जाना साबित माना है । ऐसी स्थिति में पूरणमल का अपने दत्तक पिता श्याम लाल की सम्पत्ति में ही कानूनन हक व अधिकार बनते हैं न कि बंशीधर की सम्पत्ति में । अतः पूरणमल व उसके वारिसान अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

के बंशीधर की सम्पत्ति में कोई विधिक हक व अधिकार नहीं बनते हैं । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही वैसे भी एक फिसकल प्रोसीडिंग है जो भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । पूणरमल के गोद जाने के बाद भी उसके मूल पिता बंशीधर की सम्पत्ति में यदि उसके कोई अधिकार बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर तय कराने के लिये स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भूरी देवी, शंकर देव, श्रवणी देवी, विमला देवी व महावीर प्रसाद के बयानात व साक्ष्य सबूत में दस्तावेजात निर्वाचन की फोटो प्रति, नगर पालिका नीमकाथाना का प्रमाण पत्र, जमाबन्दी की फोटो प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र व वसियत बंशीधर आदि लेकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.2.2007 द्वारा महावीर प्रसाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त आराजी लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर के स्थान पर महावीर पुत्र बंशीधर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं तथा उप तहसील खण्डेला द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 553 दिनांक 22.3.2007 महावीर प्रसाद के नाम तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा उनमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण प्रतीत नहीं होता । अतः दोनों अपील अपीलान्ट्स में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 31.7.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर